न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 64 / 2024
जी.सी.एम.एस. नं.: 2024 / 126

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी बस्सी सीतारामपुरा पानी पेच झोटवाडा रोड, जयपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. कमल राठौड पुत्री अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी ए..डब्ल्यू.एन.ओ. कॉलोनी वार्ड नं. 27 जयपुर ग्रेटर
2. राजकंवर पुत्री अर्जुन सिंह पत्नी शमशेर सिंह निवासी 10 पृथ्वीनगर, नया खेडा, जिला जयपुर
3. हमीर सिंह राठौड पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी 41, पीली कोठी, बस्सी, सीतारामपुरा, झोटवाड़ा रोड, जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 3
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 19.12.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के पिता अर्जुन सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह के नाम से चक 4 बीएलडी मु.नं. 23 प.नं. 378 की 6.200 व मु.नं. 30 प.नं. 200 / 379 की 6.200 कुल 12400है. कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खाता सं. 5 में दर्ज है। खातेदार अर्जुन सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह का देहान्त दिनांक 21.01.2014 को हो चुका है उनकी वंशावली सुमित्रा पत्नी, राजकंवर पुत्री, लक्ष्मण सिंह पुत्र, कमल राठौड पुत्री हमीरसिंह राठौड पुत्र पांच विधिक उत्तराधिकारी होने से भूमि बाबत अधिकार पांचों उत्तराधिकारियों में मृत्यु रोज से ही औद्य हो चुके है। प्रार्थी के पिता खातेदार अर्जुनसिंह [illegible] भूमि बाबत समस्त खातेदारी अधिकारो के उनके विधिक उत्तरा[illegible] में विरासत में औद्य हो जाने से श्रीमती सुमित्रा कुमा[illegible]ना उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में 1 / 5 हिस्सा का [illegible] अप्रार्थी सं. 3 हमीरसिंह के पक्ष में स्वेच्छा से कर दिया गया है चूंकि उपरोक्त भूमि के अल[illegible]र्थी के पिता अर्जुन सिंह के नाम से अन्य सम्पत्ति [illegible] भी थी जो विरासत [illegible]मती सुमित्रा कुमारी को प्राप्त हुई थी जिनमें भी उनके द्वारा अपने अधिकारो का हक त्याग मुझ प्रार्थी एंव अप्रार्थी हमीरसिंह के पक्ष में किया गया था इसलिए सभी सम्पत्तियों के बाबत एक संयुक्त हक त्याग पत्र श्रीमती सुमित्रा कुमारी के द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 17.06.2019 को तहरीर करवाया जाकर पढ सुन व समझकर सही मानते हुए हक त्याग पत्र को श्रीमान उपपंजीयक जयपुर नवम् के समक्ष वास्ते पंजीयन प्रस्तुत किया गया जो कि उपपंजीयक जयपुर नवम के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

उक्त दस्तावेज को दिनांक 17.06.2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 123 पृष्ठ संख्या 87 क्रम संख्या 201903182103760 पर पंजीयन किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 490 पृष्ठ संख्या 649 से 659 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार श्रीमती सुमित्रा कुमारी के द्वारा उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि में विरासतन प्राप्त अपने समस्त खातेदारी अधिकारो का त्याग मुझ प्रार्थी एंव अप्रार्थी हमीरसिंह के पक्ष में पंजीबद्ध दस्तावेज के माध्यम से किया हुआ है व श्रीमती सुमित्रा कुमारी के समस्त अधिकार प्रार्थी एंव हमीरसिंह के पक्ष में औद्य हो चुके है इस प्रकार प्रार्थी का पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि में 1/5 हिस्सा पिता से विरासतन एंव श्रीमती सुमित्रा कुमारी के 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भूगि हकत्याग पत्र से कुल 12.400 है. में से 3.7200है. भूमि बनती है जिसका प्रार्थी स्वंय को खातेदार टेनेन्ट घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के द्वारा समय समय पर अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर उपरोक्त भूमि जो पिता के नाम से दर्ज चली आ रही है को उनके विधिक उत्तराधिकारीयों जो वंशावली के अनुसार दर्ज करवाकर श्रीमती सुमित्रा कुमारी के द्वारा करवाये गये हक त्याग पत्रश्का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में करवाने बाबत कहा जाता रहा व भूमि का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि किस्म अनुसार खाला, रास्ता आदि सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए विधिक विभाजन किये जाने बाबत कहा तो अप्रार्थीगण के द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा कि जब कभी गाँव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो सभी एकत्र होकर अप्रार्थी सं. 4 के समक्ष ब्यान देकर समस्त प्रकिया पूर्ण कर लेगे घबराने की कोई बात नहीं है हम सभी भाई बहिनों ने किसी वात का कोई विवांद नहीं है व हक त्याग पत्र भी माता के द्वारा सभी की सहमति से करवाया गया है व सभी को इसके बारे में पूर्ण जानकारी है तथा कब्जा भूमि भी इसी अनुसार ही चला आ रहा है तो घबराने की क्या बात है जिस पर प्रार्थी ने सद्भावी विश्वारा कर लिया व समय व्यतित होता रहा। अर्सा करीब एक माह पूर्व प्रार्थी कों जानकारी प्राप्त हुई कि अप्रार्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2024, गुपचुप तरीके से बिना प्रार्थी को बताए इस आशय का अप्रार्थी सं. 4 के समक्ष प्रस्तुत किया है कि भूमि का नामान्तरणकरण अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 व प्रार्थी कुल (चार) हिस्सों में दर्ज किया जावे एंव अप्रार्थीगण के द्वारा अर्जुन सिंह का देहान्त हो जाने से उनके समस्त अधिकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के साथ साथ सुमित्रा कुमारी में औद्य हो जाने व सुमित्रा कुमारी के द्वारा स्वेच्छा से अपने हिस्सा का हक त्याग प्रार्थी व हमीरसिंह के पक्ष में किये जाने के तथ्यो को जानबूझकर छिपाते हुए व राजस्व कर्मचारीयो से मिलीभगत करवाये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है व इस बावत कोई एकपक्षीय आदेश भी तहसीदार श्री विजयनगर से गलत तथ्यों पर प्राप्त कर लिया है प्रार्थी के वार बार उक्त यह पूछने पर कि आप भूमि को मुताबिक हकत्याग पत्र दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हो व प्रक्रिया में सहयोग करने में टाल मटौल क्यों कर रहे हो तो अप्रार्थीगण के द्वारा की जा रही उपरोक्त गलत कार्यवाही की प्रार्थी को जानकारी न हो पाए इसलिए अप्रार्थी हमीरसिंह के द्वारा प्रार्थी को इस बावत कार्यवाही प्रारम्भ करने का कहते हुए अप्रार्थी हमीरसिंह ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से दिनांक 06.08.2024 का टाईप करवाया जिसमें अर्जुनसिह कां [illegible] पांच विधिक वारिसान होने व श्रीगती सुमित्रा कुमारी के द्वारा [illegible] हक त्याग पत्र का विवरण दर्ज था पर मुझ प्रार्थी से [illegible] को आश्वस्त किया कि कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है शीघ्र ही [illegible]रणकरण स्वीकृत करवा लेगे व उसके बाद विधिक विभाजन की कार्यवाही भी सहमति से कर लेगे जिस पर प्रार्थी ने विश्वास कर लिया। इसके उपरांत 4–5 रोज बाद जब प्रार्थी ने पटवारी हल्का से नामान्तरणकरण प्रक्रिया के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि उन्हे हक त्याग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है बल्कि अर्जुनसिंह के चार विधिक उत्तराधिकारी होना बताकर विरासतन नामान्तरणकरण हेतु वारिसान तस्दीक आदि की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट ली गई है जिस पर प्रार्थी ने तहसील

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:57 IST
Reason: SelfAttested

श्रीविजयनगर में आकर पता किया व एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.8.2024 को जरीये अधिवक्ता तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष प्रस्तुत कर वास्तविक तथ्यों से तहसीलदार श्री विजयनगर को अवगत्त करवाया व इसके बाद प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर इस बाबत उलाहना दिया व हक त्याग पत्र का नामान्तरणकरण दर्ज करवाने एंव विधिक विभाजन भूमि किस्म अनुसार करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि हक त्याग पत्र में प्राप्त प्रार्थी के हिस्सा से प्रार्थी को महरूम एंव बेदखल जबर। बलपूर्वक कर देगे व सुघरी हुई भूमि पर जबरन काबिज हो जावेगे अथवा किसी गुण्डा प्रवृति व्यक्ति को रहन. विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर खुर्द बुर्द कर देगे। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त विधि विरुद्व कृत्यो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपने हक वा हिस्सा की भूमि से महरूम होना पडेगा जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारो का हनन होगा एव प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, मुकदमा बाजी बढेगी, खर्च बढेगा, काश्त में भारी असुविधा होगी जबकि अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कियां जाने पर उनके हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। राजस्थान सरकार भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिए बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एंव पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि चक 4 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.न. 23 प.न. 200/378 का 6.200 है. व. मु.न. 30 प.न. 200/379 का 6.200है. कुल 12.400है. भूमि कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि या इसके किसी भाग को अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने से बाज एंव ममनू रहे व मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने हेतु निवेदन करने पर जवाब दिनांक 24.09.2025 को बंद किया जा चुका है। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी के पिता के नाम से दर्ज है, जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 3 विधिक उत्तराधिकारी है। प्रार्थी की माता सुमित्रा देवी के द्वारा अपने हिस्सा की सम्पत्ति को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में जरिए पंजीबद्व हकत्याग के छोड़ दिया था। अप्रार्थीगण उक्त हकत्याग दस्तावेज को छिपाते हुए भूमि चार हिस्सों में विरासत दर्ज करवाने पर आमादा है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी/वादी का वाद पत्र चाहे अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जा चुका है जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा वाद पत्र पूर्व में प्रारम्भिक डिक्री किया जा चुका है। अब हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है। प्रार्थी का मकसद मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने का है एवं प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कारित करना है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। मूल वाद पत्र प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र चाहे अनुतोष अनुसार स्वीकार किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:57 IST
Reason: SelfAttested

के फलस्वरूप प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हितों को स्वीकार कर लिया गया है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषाधाज्ञा पारित किये जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि में प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थीगण के हित भी निहित है। ऐसे में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

—: आदेश :—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:41:57 IST
Reason: SelfAttested